

रामा बनाम अमरचन्द

वाद स. 681399

३१/११/१७

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप. नहीं।
वकील वादी को बक-बक कर तीनबार
आवाज लगाई गई। वकील वादी या
उनका कोई प्रतिनिधि उप. नहीं। अतः वादी
के बाद को अदम पेशी अदम द. जारी
में खरीज किया जाकर पत्रावली के अन्त
शुमार होकर नम्बर दो काम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

